



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(पेंशन भुगतान अनुभाग)

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

आयकर पैन नं०.....

फार्म संख्या 8 (1)

पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु प्रमाण पत्र

(अनुच्छेद 17 देखा जाए)

1. जीवित होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशन भोगी / खाता धारक
श्री / श्रीमती.....
(पेंशन भोगी का नाम) जो पेंशन भुगतानादेश संख्या /
बैंक खाता संख्या..... का धारक है, को स्वयं देखा है
और यह कि वह आज की तारीख में जीवित है।

पेंशनर / खाता धारक
के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

अधिकृत अधिकारी का नाम.....

पद व मोहर

स्थान

दिनांक

फार्म संख्या 8 (2)

2. रोजगार रहित होने संबंधी प्रमाण-पत्र

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके / बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए रोजगार / वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार किया है / स्वीकार नहीं किया है। (उ0प्र0 सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति के प्रथम दो वर्षों में दिया जाना है)।

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके / बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए भारत सरकार के परिधि के बाहर या किसी भी सरकार के अधीन किसी प्रकार का रोजगार स्वीकार किया है / स्वीकार नहीं किया है, (केवल उत्तर प्रदेश सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा दिया जाना है।)

स्थान.....

हस्ताक्षर

दिनांक.....

पेंशनभोगी का नाम

फार्म संख्या 8 (3)

3. पुनर्विवाह / अविवाहित होने का प्रमाण-पत्र

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैं विवाहित नहीं हूँ / मैंने पिछले एक वर्ष के अन्दर विवाह नहीं किया है।

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है तथा ऐसा करने पर मैं परिषद को सूचित करूँगा / करूँगी।

स्थान.....

हस्ताक्षर

दिनांक

पेंशनभोगी का नाम

पति / पत्नी का नाम

पेंशन भुगतान सं०

स्थायी / वर्तमान पता.....

.....

.....

बैंक का नाम / शाखा / खाता सं०.....

.....

टेलीफोन / मो० नं०.....

ई-मेल.....

पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि.....

पेंशनर द्वारा सेवा में प्रथम बार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि.....

“जो लागू न हो उसे काट दिया जाये”

नोट: कृपया परिषद अभिलेखों में उपलब्ध हस्ताक्षर के अनुरूप ही हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।